फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

कमला देवी बनाम सरकार वगै0

84/2022

आज्ञा वाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी तन्हा खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 359/1 र कबा 0.1000है0 वाके ग्राम पापड, पटवार हल्का पापड, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित भूमि है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि ग्राम पापड व ग्राम हरिकिशनपुरा की काकड सीमा पर स्थित है तथा उक्त खातेदारी भूमि में आने जाने के लिये राजस्व नक्शें मे कोई रास्ता अंकित नही है। प्रार्थीया की उक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 359/1 ग्राम पापड व ग्राम हरिकिशनपुरा की काकड सीमा के लगवा स्थित है तथा ग्राम हरिकिशनपुरा में खसरा नम्बर 280 जो कि अप्रार्थी सं0 2 की तन्हा खातेदारी है जिसमें होकर प्रार्थीया अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 359/1 जो कि ग्राम पापड में स्थित है। अतः उक्त भूमि खसरा नम्बर 280 में होकर संलग्न नजरी नक्शे अनुसार मार्का ए से बी 40 फुट चौडा रास्ता प्रार्थीया की ग्राम पापड में स्थित तन्हा खातेदारी खसरा नम्बर 359/1 हेतु संलग्न नजरी नक्शे अनुसार राजस्व नक्शें में गैर मुमकिन रास्ता अंकित करने की कुपा करें। पैरोकार सरकार ने अपनी रिपोर्ट में अकित तथ्यो को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 359/1 है। ग्राम हरिकिशनपुरा के खसरा नम्बर 280 रकबा 62.46है0 मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसकी किस्म चरागाह है। वर्तमान में प्रार्थी जिस सडक/डामरीकरण रास्ते से होकर जाता है वह रास्ता भी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी नक्शा दर्ज नही है। अतः पत्रावली को अवलोकन करने व वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस का मनन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए जिस भूमि में से रास्ता चाहा गया है। वह भूमि की किस्म चरागाह है। जो जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज रिकार्ड है। अतः पत्रावली में जो रास्ता चाहा गया है वह चरागाह भूमि है। ऐसी स्थिति में चरागाह भूमि कानून प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी मे आती है। जिसमें से रिकार्डेड रास्ता दिया जाना उचित नही समझते है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया जाता है। निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ	